



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली मिलन कार्यक्रम में आमजन से मुलाकात की। सभी से दीपावली की रामा-श्यामा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की और साधु-संतों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनसेवा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी ध्येय के साथ जन समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी से प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर सांगानेर सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की तीन सीटें नैशनल कॉन्फ्रेंस ने व एक भाजपा ने जीती

श्रीनगर, 24 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार (24 अक्टूबर) को राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव हुए। तीन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीतीं वहीं एक सीट भाजपा ने जीत ली। केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए। भाजपा की जीत कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग से संभव हुई है।

तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मुहम्मद रमजान,सज्जाद किचलू और गुरुशरण (शमी) ओबेरॉय जीते हैं। एक सीट भाजपा के सत शर्मा ने जीती है।

इसके पहले आज सुबह विधानसभा परिसर में वोटिंग हुई। 86 विधायकों ने वोटिंग की। आप विधायक मेहरान मलिक जो हिरासत में हैं, का वोट डाक मतपत्र के माध्यम से डाला गया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने मतदान में भाग नहीं लिया।

5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल

ट्रंप ने कैनडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं बंद कीं

ट्रंप ने ऑंटारियो सरकार के रॉनल्ड रीगन सम्बंधी विज्ञापन को “धोखा” बताते हुए वार्ता समाप्त करने की घोषणा की

ओटावा, 24 अक्टूबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ऑंटारियो सरकार के एक विज्ञापन को लेकर के साथ सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त कर रहे हैं। इस विज्ञापन में दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शब्दों का इस्तेमाल करके अमेरिकी दर्शकों को टैरिफ-विरोधी संदेश दिया गया है।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उस विज्ञापन पर हमला किया, जिसका श्रेय उन्होंने ऑंटारियो के बजाय कैनडा को दिया था, और इसे धोखाधड़ी तथा फर्जी बताया। ऑंटारियो कैनडा का सीमावर्ती प्रांत है, जिसकी सीमाएं अमेरिका से लगती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके घृणित व्यवहार के आधार पर कैनडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त की जाती हैं।"

शुक्रवार सुबह एक और पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया, "कैनडा ने धोखा दिया और पकड़ा गया।"

उन्होंने लिखा, "उसने धोखे से एक बड़ा विज्ञापन देकर यह कह दिया कि

अमेरिका के आर्थिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैसे भी, रूसी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और देश के पास निर्यात के लिए तेल के अलावा, ज्यादा कुछ नहीं है। तेल निर्यात से होने वाली आय सरकार के पास जाती है और इसी से युद्ध को वित्तीय सहारा मिलता है। ट्रंप और उनके सलाहकार समूह लंबे समय से इन आर्थिक रास्तों को बंद करने की योजना बना रहे थे, ताकि पुतिन के लिए युद्ध को फण्डिंग मुश्किल हो जाए।

डॉनल्ड ट्रम्प अब तक रूस और पुतिन के युद्ध के खिलाफ इसी की कार्रवाई करने से बचते रहे थे, इस उम्मीद में कि धमकियाँ काम करेंगी और पुतिन बातचीत की मेज पर आएंगे। हालाँकि, जब भी पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला।

ट्रंप ने स्वयं पुतिन के साथ अपनी निजी कूटनीति की विफलता स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए रणनीति में बदलाव किया गया है।

दूसरी ओर, इन प्रतिबंधों का असर भारतीय रिफाइनरियों पर पड़ने लगा है और ऐसी खबरें हैं कि कुछ बड़ी निजी तेल रिफाइनरियाँ अब रूसी कच्चे तेल से दूरी बना रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, गुजरात स्थित अपनी रिफाइनरी के लिए सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदती थी। कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए उसका रोसेनेफ्ट के साथ बीस साल का अनुबंध है। भारत प्रतिदिन लगभग 1.7 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात करता था। इसमें से एक बड़ा हिस्सा विशाल रिलायंस रिफाइनरी के लिए था। अन्य निजी रिफाइनरियाँ और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियाँ भी रूसी कच्चा तेल खरीदती थीं।

रिलायंस के लिए रूसी कच्चे तेल से दूरी बनाना बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी तरह के वित्तीय प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और बाजारों तक उसकी पहुँच पर रोक लगने से गंभीर परिचालन समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। वैश्विक

शुक्रवार सुबह विधानसभा परिसर में हुई वोटिंग में 86 विधायकों ने वोट डाला

- हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने वोट नहीं डाला और आप विधायक ने मेहराज मलिक ने डाक मतपत्र का प्रयोग किया।**

37० हटाए जाने के बाद और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से यह जम्मू-कश्मीर से पहला राज्यसभा चुनाव है। ये सीटें 15 फरवरी 2०21 में खाली हुई थीं, जब पूर्व सांसदों गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लांबे ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। दो अन्य सदस्यों, फयाज अहमद मीर और शमशीर सिंह मन्हास ने उसी वर्ष 1० फरवरी को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 9०

दिल्ली एनसीआर में ड्रस का अवैध कारोबार पकड़ा

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नशीले पदार्थों में लिप्त एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए, करीब 1०9 करोड़ रुपये की अवैध सामग्री जब्त की है। इस सिलसिले में 26 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किये गये हैं।

शुक्रवार को जारी एक विज्ञित में कहा गया कि इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक की कार्रवाई में

16.27 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, 7.9 किलोग्राम कोकीन, 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.13 किलोग्राम गांजा और 115.42 किलोग्राम प्रीकसर रसायन जब्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लगभग 1०8.81 करोड़ रुपये

- राजस्व खुफिया निदेशालय के इस क्रम में 26 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।**

आंकी गयी है। डीआरआई ने इस नेटवर्क के खिलाफ इसी सप्ताह मंगलवार और बुधवार एक समन्वित अभियान चलाया। अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा में ऊँची आवासीय इमारतों के पास एक सुनसान खेत में चोरी छुपे मेथामफेटामाइन बनाने के एक ठिकाने पर छापा मारा। वहां उन्हें 11.4० किलोग्राम मेथामफेटामाइन और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले 11०.923 किलोग्राम रसायन मिले।

तलाशी के दौरान वहां से कई संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई के अनुसार इस अभियान में उसके अधिकारियों की विभिन्न अधिकार क्षेत्रों (नोएडा (उत्तर प्रदेश), गुरुग्राम (हरियाणा) और दिल्ली) और चुनौतीपूर्ण जगहों पर कार्रवाई करनी पड़ी। यह जटिल अभियान खुफिया जानकारी और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय से किया गया।

अभियान में उसके अधिकारियों की विभिन्न अधिकार क्षेत्रों (नोएडा (उत्तर प्रदेश), गुरुग्राम (हरियाणा) और दिल्ली) और चुनौतीपूर्ण जगहों पर कार्रवाई करनी पड़ी। यह जटिल अभियान खुफिया जानकारी और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय से किया गया।

राहुल ने सीताराम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
विधानसभा चुनाव के बीच केसरी की पुण्यतिथि पर पिछले 25 साल में शायद पहला अवसर है, जब गांधी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

प्रदेश की हर छात्रा को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलेंगे - भजनलाल

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2025-26 में छात्राओं को 4,240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा

- राज्य सरकार देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय करके 16 हजार 21 छात्राओं को लाभान्वित कर चुकी है।**

जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 5० प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हैं, उन्हें 12 वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाती है।

बिहार में सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल शामिल नहीं

लखनऊ 24 अक्टूबर।समाजवादी पार्टी (सपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित यह सूची चुनाव आयोग को भेजी गई है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुल 2० प्रमुख नेता शामिल हैं। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 77 के तहत ये नेता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार में भाग लेंगे। समाजवादी पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी नेता गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। जारी सूची में प्रमुख नामों में अखिलेश यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष), किरणमय नंदी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), मोहम्मद आज़म खां (राष्ट्रीय महासचिव), डिम्पल यादव (सांसद) और अफलाकुर रहमान अंसारी (सांसद) शामिल हैं।

चेन्नई, 24 अक्टूबर। वर्ष 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा के चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया अगले सप्ताह से आरंभ होगी। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने यह जानकारी गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को दी। आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरे देश में चलने वाले वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पूर्व मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करना है।

इस दौरान नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, अयोग हो चुके व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे और सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारा जाएगा।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिलनाडु व आंध्र के तटवर्ती जिलों के लिए अलर्ट जारी

एहतियाती उपायों की तैयारियों की जानकारी ली है। इस बीच, विपक्ष ने राज्य सरकार पर वर्षा-पूर्व तैयारी में लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि डेल्टा जिलों के प्रत्यक्ष खरीद केन्द्रों (डीपीसी) पर किसानों द्वारा भारी मात्रा में रखा गया धान हाल की बारिश से भीग गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा त्वरित खरीद सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध के बाद अधिकारियों की एक टीम भेजी है, जो धान की नमी की सीमा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने की आवश्यकता का आकलन करेगी।

गौरतलब है कि थाईलैंड द्वारा सुझाये गये नाम मोंथा का अर्थ थाई भाषा में "सुर्गधित फूल" या "सुंदर फूल" होता है। उत्तर-पूर्व मानसून की सक्रियता के चलते तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी जिलों में

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा हो रहा है, रविवार सुबह तक यह चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल सकता है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि अरब सागर के पूर्व-मध्य और दक्षिण-पूर्व हिस्से में भी एक दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इस बीच उत्तर-पूर्व मानसून के सक्रिय होने और पिछले सप्ताह की भारी वर्षा से कावेरी डेल्टा क्षेत्र में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में चक्रवात मोंथा की असर से तटीय जिलों सहित, भीतरी

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा हो रहा है, रविवार सुबह तक यह चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल सकता है।

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा हो रहा है, रविवार सुबह तक यह चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल सकता है।

5० लाख लोगों ने चार धाम यात्रा की

देहरादून, 24 अक्टूबर।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि इस साल चार धाम यात्रा में लगभग 5० लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे।

तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वर्षा काल के दौरान विषम परिस्थितियों के बावजूद

- सरकारी सूत्रों ने बताया, मानसून में भारी प्राकृतिक आपदा से खराब हुई सड़कों की त्वरित मरम्मत के बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ा**

प्रदेश के कुरनूल में एक दुखद बस अग्निकांड में हुई मौतों की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिये प्रार्थना करती हूँ।

मुख्यमंत्री एरेवंत रेड्डी के निर्देश के बाद यह हेल्थलाइन शुरू की गई। उन्होंने सरकार के मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी से बात की। मुख्यमंत्री ने आईएसएस अधिकारी एस हरीश और पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कुरनूल जिले के गडवाल जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दुर्घटनास्थल पर पहुंचने और राहत कार्यों के समन्वय के निर्देश दिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस में आग लगने के कारण हुई लोगों की मौत पर को प्रकट किया और इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राष्ट्रपति ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आंध्र

- राज्य सरकार देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय करके 16 हजार 21 छात्राओं को लाभान्वित कर चुकी है।**

मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के तहत प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य के अलावा, अन्य समान कट ऑफ प्राप्तोंक वाली छात्राओं को भी स्कूटी नि:शुल्क वितरित की जाती है। वर्ष 2०19-2० से प्रतिवर्ष 15०0 स्कूटी वितरण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और अब वर्ष 2०25-26 से 4 हजार 240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत,

तमिलनाडु में अगले सप्ताह शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण

भारतीय चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को गुरुवार को यह जानकारी दी

चेन्नई, 24 अक्टूबर। वर्ष 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा के चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया अगले सप्ताह से आरंभ होगी। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने यह जानकारी गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को दी। आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरे देश में चलने वाले वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पूर्व मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करना है।

- मद्रास हाईकोर्ट में अनाद्रमुक के विधायक सत्यनारायण ने याचिका दायर की व कहा कि चेन्नई के टी नगर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पार्टी के 13,000 समर्थकों के नाम हटाए गए।**

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी उच्च न्यायालय में उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे अनाद्रमुक के पूर्व विधायक सत्यनारायणन ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेन्नई के टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक के पक्ष में लगभग 13,००0 अनाद्रमुक समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आगामी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित एक मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने